



अनुसंधान प्रश्न

“भारत में जन्म प्रमाणपत्र, बोर्ड मार्कशीट, आधार और पैन जैसे दस्तावेजों में नाम या जन्मतिथि की गड़बड़ी ठीक कराने की कानूनी प्रक्रिया क्या है, जिसमें गजट अधिसूचना, शपथपत्र और सुधार के दावों पर अदालतों के फैसले शामिल हों?”

भारत में जन्म प्रमाण पत्र, बोर्ड मार्कशीट, आधार और पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों में नाम और जन्मतिथि सुधार की कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक सिद्धांत

सारांश

भारत में जन्म प्रमाण पत्र, बोर्ड मार्कशीट, आधार और पैन कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में नाम या जन्मतिथि (DOB) में सुधार कराने की कानूनी प्रक्रिया मुख्य रूप से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 और संबंधित शैक्षिक बोर्डों या प्रशासनिक प्राधिकरणों के उप-नियमों (Bye-laws) के तहत संचालित होती है। उच्च न्यायालयों ने *Mahin Tickoo v. Union of India* (2025) जैसे मामलों में यह स्थापित किया है कि यदि विलेख/दावा किसी वैध सार्वजनिक दस्तावेज (जैसे जन्म प्रमाण पत्र) द्वारा समर्थित है, तो बोर्ड या प्राधिकरण केवल अपने प्रशासनिक उप-नियमों की कठोरता का हवाला देकर सुधार करने से इनकार नहीं कर सकते। हालांकि, सरकारी सेवाओं के संदर्भ में सेवानिवृत्ति के करीब या अत्यधिक देरी से सेवा रिकॉर्ड में जन्मतिथि में बदलाव की मांग को कानूनन स्वीकार नहीं किया जाता है (*The Secretary and Commissioner, Home Department and Ors. v. R. Kirubakaran* (1993))।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
25	3	2025
22 उच्च न्यायालय • 3 सर्वोच्च न्यायालय		High Court of Jammu and Kashmir

विषय-सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	4
III. चर्चित मुकदमे	6
IV. मुकदमे का विवरण	8

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्धरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 पंजीयक (Registrar) की व्यापक वैधानिक शक्ति और कर्तव्य

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 के तहत, स्थानीय निकायों के पंजीयक के पास जन्म प्रमाण पत्र में लिपिकीय (clerical) या तात्त्विक (substantial) दोनों प्रकार की त्रुटियों को सुधारने की व्यापक शक्ति और वैधानिक कर्तव्य है; वे क्षेत्राधिकार की कमी का हवाला देकर सुधार से इनकार नहीं कर सकते (*Patel Pravinkumar Prahladdas v. Talati Cum Mantri* (2015))।

02 सार्वजनिक दस्तावेजों की विसंगतियों का समाधान

शैक्षिक बोर्डों (जैसे सीबीएसई) को कक्षा 10वीं या अन्य प्रमाणपत्रों में दर्ज जन्मतिथि को छात्र के आधार, पैन और जन्म प्रमाण पत्र जैसे वैधानिक सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुरूप सुधारने का निर्देश दिया जा सकता है, क्योंकि बोर्ड नियमों की तकनीकी कठोरता को छात्र के भविष्य के हितों पर हावी नहीं होने दिया जा सकता (*Sneha Kant v. Chhattisgarh Board of Secondary Education* (2023))।

03 नए अर्जित नामों के लिए शपथ पत्र और गजट की आवश्यकता

यदि कोई छात्र पूरी तरह से नए अधिग्रहित नाम (acquired name) को दर्ज कराना चाहता है जो स्कूल के पुराने रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, तो सीबीएसई और अन्य बोर्ड इसके लिए शपथ पत्र (sworn affidavit), क्षतिपूर्ति पत्र (indemnity bond), प्रशासनिक शुल्क और आधिकारिक गजट (Official Gazette) में प्रकाशन जैसी उचित शर्तों को लागू कर सकते हैं (*The Regional Officer, Central Board of Secondary Education v. Dr. Arun S.* (2021))।

04 सेवा रिकॉर्ड में जन्मतिथि संशोधन पर प्रतिबंध

सरकारी नौकरियों के मामले में, सेवा में प्रवेश करने के लंबे समय बाद या सेवानिवृत्ति के बिल्कुल अंतिम छोर पर जन्मतिथि में सुधार का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता, भले ही कर्मचारी के पास प्रासंगिक और अकाट्य साक्ष्य ही क्यों न हों, क्योंकि यह अन्य कर्मचारियों की पदोन्नति और वरिष्ठता को प्रभावित करता है (*Karnataka Rural Infrastructure Development Limited v. T.P. Nataraja* (2021))।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

सरकारी सेवा अभिलेखों के मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सुधार के आवेदन कानून या नियमों के तहत निर्धारित विशिष्ट समय सीमा के भीतर ही दायर किए जाने चाहिए। अत्यधिक विलंब और बिना किसी स्पष्टीकरण के की गई देरी (Delay and Laches) ऐसे दावों के लिए घातक साबित होती है (*State of Haryana v. Satish Kumar Mittal* (2010))।

उच्च न्यायालय की भिन्नताएँ

उच्च न्यायालयों ने माना है कि जन्म पंजीयक का दायित्व केवल स्कूल रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है। यदि माता-पिता का नाम जन्म प्रमाण पत्र में गलत है और आवेदक के पास आधार कार्ड व पासपोर्ट जैसे अन्य विश्वसनीय दस्तावेज हैं, तो पंजीयक को धारा 15 के तहत उचित जांच कर वास्तविक नाम दर्ज करना चाहिए (*Swapna Jambhekar v. The Corporation of Cochin* (2020))। इसके अतिरिक्त, यदि आवेदक ने सरकारी गजट में नाम परिवर्तन पहले ही प्रकाशित करवा लिया है, तो पंजीयक जन्म प्रमाण पत्र में नाम संशोधित करने के लिए कानूनन बाध्य है (*Pooja Prayank Agarwal v. State of Gujarat* (2023))।

हाल का विकास

हाल के वर्षों में उच्च न्यायालयों ने सीबीएसई को अपने परीक्षा उप-नियमों (Examination Bye-laws) में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए हैं ताकि जन्म प्रमाण पत्र के साक्ष्य के आधार पर जन्मतिथि सुधारने की प्रक्रिया को एक सुगम तंत्र में बदला जा सके। न्यायालय ने आवेदन प्राप्त होने के बाद एक महीने की सख्त समय-सीमा के भीतर सीबीएसई को ऐसी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया है (*Central Board Secondary Education v. Afna Salam* (2021); *Central Board of Secondary Education v. Sruthy S.* (2021))।

II. सांविधिक प्रावधान 3 प्रावधान

SECTION 15, REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS ACT, 1969 — CORRECTION OR CANCELLATION OF ENTRY IN THE REGISTER OF BIRTHS AND DEATHS

This section empowers the Registrar to correct errors or cancel fraudulent or improper entries in the births and deaths register, subject to rules made by the State Government.

"If it is proved to the satisfaction of the Registrar that any entry of a birth or death in any register kept by him under this Act is erroneous in form or substance, or has been fraudulently or improperly made, he may, subject to such rules as may be made by the State Government with respect to the conditions on which and the circumstances in which such entries may be corrected or cancelled, correct the error or cancel the entry by suitable entry in the margin, without any alteration of the original entry, and shall sign the marginal entry and add thereto the date of the correction or cancellation." उद्धृत: Swapna Jambhekar v. The Corporation of Cochin

SECTION 28, BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES REGISTRATION ACT, 1886 — CORRECTION OF ENTRY IN REGISTER OF BIRTHS OR DEATHS

This section provides a mechanism for correcting errors in birth or death registers by making a marginal entry, and requires a certified copy of the correction to be sent to the Registrar General if a copy of the original entry has already been transmitted.

"(1) If it is proved to the satisfaction of a Registrar of Births and Deaths that any entry of a birth or death in any register kept by him under this Act is erroneous in form or substance, he may, subject to such rules as may be made by the State Government with respect to the conditions and circumstances on and in which errors may be corrected, correct the error by entry in the margin, without any alteration of the original entry, and shall sign the marginal entry and add thereto the date of the correction. (2) If a certified copy of the entry has already been sent to the Registrar General of Births, Deaths and Marriages, the Registrar of Births and Deaths shall make and send a separate certified copy of the original erroneous entry and of the marginal correction therein made." उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

SECTION 381, ARUNACHAL PRADESH MUNICIPAL ACT, 2007 — CORRECTION OF ERRORS IN REGISTERS OF BIRTHS AND DEATHS

This section outlines the procedure for correcting clerical errors and errors of fact or substance in birth or death registers, requiring a declaration on oath before a Magistrate for corrections of fact or substance.

"381. (1) Any clerical error which may at any time be discovered in a register of births or register of deaths may be corrected by any person authorized in this behalf by the Chief Municipal Executive Officer/ Municipal Executive Officer. (2) An error of fact or substance in any such register may be corrected by any person authorised as aforesaid by entry in the margin without any alteration of the original entry upon production to the Chief Municipal Executive Officer / Municipal Executive Officer by the person requiring such error to be corrected of a declaration (setting forth the nature of the error and the fact of the case) on oath made before a Magistrate, by the person required by this Act to give information concerning the birth or death with reference to which the error has been made or in default of such person by a person having knowledge of the case. (3) Except as provided in sub-section (2) no alteration shall be made in any such register." उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

III. चर्चित मुकदमे

25 मुकदमे • सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Mahin Tickoo v. Union of India</i> JKHC020026062024	HIGH COURT OF JAMMU AND KASHMIR	2025	सार्वजनिक दस्तावेजों (जन्म प्रमाण पत्र/आधार/पैन) के आधार पर सीबीएसई को जन्मतिथि में सुधार करने का निर्देश।
02	<i>Sneha Kant v. Chhattisgarh Board of Secondary Education</i> CGHC010028812023	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2023	कक्षा 10वीं की अंकतालिका में दर्ज जन्मतिथि को अन्य सरकारी दस्तावेजों के अनुरूप सुधारने का आदेश।
03	<i>Patel Pravinkumar Prahladdas v. Talati Cum Mantri</i> GJHC240054502015	HIGH COURT OF GUJARAT	2015	पंजीयक को जन्म प्रमाण पत्र में नाम और जन्मतिथि की तथ्यात्मक त्रुटियों को सुधारने का अधिकार है।
04	<i>The Secretary and Commissioner, Home Department and Ors. v. R. Kirubakaran</i> ESCR010002991993	SUPREME COURT OF INDIA	1993	सेवानिवृत्ति के समय या सेवा के अंत में सेवा रिकॉर्ड में जन्मतिथि सुधार की अनुमति नहीं।
05	<i>Prajapati Harshad Bhikhabhai v. State of Gujarat</i> GJHC240085132013	HIGH COURT OF GUJARAT	2014	पंजीयक का वैधानिक कर्तव्य है कि वह संतुष्ट होने पर जन्म रजिस्टर में सुधार करे।
06	<i>Swapna Jambhekar v. The Corporation of Cochin</i> KLHC010508572020	HIGH COURT OF KERALA	2020	आधार और पासपोर्ट के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र में माँ का नाम सही करने का निर्देश।
07	<i>Patel Shaileshkumar Girdhardas v. State of Gujarat</i> GJHC240146412014	HIGH COURT OF GUJARAT	2014	जन्म पंजीयक के पास रिकॉर्ड में तथ्यात्मक और लिपिकीय दोनों त्रुटियों को सुधारने की शक्ति है।
08	<i>Niravkumar Chandulal Thakkar v. State of Gujarat</i> GJHC240227492021	HIGH COURT OF GUJARAT	2021	दस्तावेजों की प्रामाणिकता से संतुष्ट होने पर पंजीयक जन्म प्रमाण पत्र में नाम सुधारने हेतु बाध्य है।
09	<i>State of Haryana v. Satish Kumar Mittal</i> ESCR010000022010	SUPREME COURT OF INDIA	2010	सेवा में शामिल होने के नौ साल बाद जन्मतिथि में सुधार के अत्यधिक विलंबित दावे को खारिज किया।
10	<i>Kapadiya Soyeb Salimbhai v. State of Gujarat</i> GJHC240148022014	HIGH COURT OF GUJARAT	2014	प्राथमिक जन्म प्रमाण पत्र के साक्ष्य के आधार पर स्कूल रिकॉर्ड में जन्मतिथि सुधारने की प्रक्रिया।
11	<i>Prajapati Jitendrakumar Joitaram v. State of Gujarat</i> GJHC240206952014	HIGH COURT OF GUJARAT	2015	सक्षम प्राधिकारी को जन्म प्रमाण पत्र में गलत प्रविष्टि को संशोधित करने का स्पष्ट अधिकार है।
12	<i>The Regional Officer, Central Board of Secondary Education v. Dr. Arun S.</i> KLHC010423652021	HIGH COURT OF KERALA	2021	सीबीएसई प्रमाणपत्रों में सुधार के लिए शपथ पत्र, शुल्क और गजट प्रकाशन की शर्तें निर्धारित।

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
13	<i>Patel Mitaben Rakeshkumar v. State of Gujarat</i> GJHC240479852021	HIGH COURT OF GUJARAT	2021	पंजीयक को जन्म प्रमाण पत्र में जन्मतिथि में सुधार और नाम जोड़ने की स्पष्ट शक्ति है।
14	<i>Central Board of Secondary Education v. Revathy Sreedhar</i> KLHC010608682020	HIGH COURT OF KERALA	2021	सीबीएसई को वैध दस्तावेजों और उचित प्रक्रिया (शपथ पत्र/शुल्क) के तहत सुधार का निर्देश।
15	<i>Central Board of Secondary Education v. Robin Moses</i> KLHC010163872021	HIGH COURT OF KERALA	2021	सीबीएसई को छात्र के जन्म प्रमाण पत्र के अनुरूप शैक्षिक दस्तावेजों में सुधार करने का आदेश।
16	<i>Central Board of Secondary Education v. Resmy Nair</i> KLHC010454912021	HIGH COURT OF KERALA	2021	सीबीएसई को निर्धारित शर्तों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जन्मतिथि सुधारने का निर्देश।
17	<i>Central Board of Secondary Education v. Sruthy S.</i> KLHC010434912021	HIGH COURT OF KERALA	2021	सीबीएसई को स्कूल के माध्यम से प्राप्त आवेदन पर जन्मतिथि सुधारने का निर्देश दिया।
18	<i>Central Board Secondary Education v. Afna Salam</i> KLHC010423682021	HIGH COURT OF KERALA	2021	सीबीएसई को अपने उप-नियमों में सुधार की उचित प्रक्रिया शामिल करने के निर्देश का पालन।
19	<i>Central Board of Secondary Education v. P. Sreekantan Nair</i> KLHC010426422020	HIGH COURT OF KERALA	2020	वैध जन्म प्रमाण पत्र के साक्ष्य होने पर बोर्ड को रिकॉर्ड में सुधार करना चाहिए।
20	<i>Karnataka Rural Infrastructure Development Limited v. T.P. Nataraja</i> ESCR010004082021	SUPREME COURT OF INDIA	2021	सेवा के अंतिम चरण में 24 साल की लंबी देरी के बाद जन्मतिथि सुधार को अस्वीकार किया।
21	<i>Pooja Prayank Agarwal v. State of Gujarat</i> GJHC240401692023	HIGH COURT OF GUJARAT	2023	गजट अधिसूचना, आधार और पैन होने पर जन्म प्रमाण पत्र में नाम बदलने का निर्देश।
22	<i>Secretary, CBSE v. Jithin H.S.</i> KLHC010450722021	HIGH COURT OF KERALA	2021	शैक्षिक रिकॉर्ड में विसंगति दूर करने के लिए सीबीएसई को सुधार प्रक्रिया करने का निर्देश।
23	<i>Central Board of Secondary Education v. Afsal P.</i> KLHC010730432020	HIGH COURT OF KERALA	2021	जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर स्कूल रिकॉर्ड और माता-पिता के नाम में सुधार।
24	<i>Vipin K. v. Principal, Kendriya Vidyalaya</i> KLHC010445812012	HIGH COURT OF KERALA	2012	उप-नियमों की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद सीबीएसई को जन्मतिथि में सुधार का निर्देश।
25	<i>Central Board of Secondary Education v. Rasna P.</i> KLHC010094112020	HIGH COURT OF KERALA	2021	सीबीएसई को जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर जन्मतिथि सुधारने का निर्देश दिया।

IV. मुकदमे का विवरण 25 केस फ़ाइलें

01 Mahin Tickoo v. Union of India

HIGH COURT OF JAMMU AND KASHMIR • 2025-03-24 • WP(C)/1162/2024

यह मामला याचिकाकर्ता द्वारा अपने CBSE स्कूल रिकॉर्ड में जन्मतिथि को संशोधित कराने से संबंधित है। याचिकाकर्ता के स्कूल रिकॉर्ड में जन्मतिथि 28/11/2004 दर्ज थी, जबकि नगर पालिका जम्मू द्वारा जारी आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड में यह 28/11/2003 दर्ज थी। स्कूल में प्रवेश के समय अभिभावकों द्वारा अनजाने में या त्रुटिवश गलत तिथि दर्ज कराई गई थी। न्यायालय ने Jigya Yadav v. C.B.S.E मामले में Supreme Court के सिद्धांतों का पालन करते हुए माना कि याचिकाकर्ता को उसके अभिभावकों की उस समय की भूल के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने CBSE को निर्देश दिया कि वह सार्वजनिक दस्तावेजों के आधार पर याचिकाकर्ता की जन्मतिथि के रिकॉर्ड को संशोधित करे।

निर्णय जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने माना कि जब कोई छात्र जन्म तिथि में संशोधन के लिए न्यायालय से अनुमति मांगता है, तो कानूनी धारणा सार्वजनिक दस्तावेजों के पक्ष में होती है। अदालत ने CBSE को निर्देश दिया कि वह जम्मू नगर निगम द्वारा जारी वैध जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड के रिकॉर्ड के अनुरूप याचिकाकर्ता की जन्म तिथि में सुधार करे।

“B. Correction as per Court Orders. Applications regarding correction in date of birth of candidates will be considered provided the correction have been admitted by the Court of law. In cases of correction in date of birth in documents after the court orders caption will be mentioned on the document “CORRECTION ALLOWED IN DATE OF BIRTH FROM ____ TO ____ ON (DATED) ____ AS PER COURT ORDER NO. ____ DATED ____.” 156. When a student applies to a Court of law for prior permission and/or declaration and produces public document(s), the Court would enter upon an inquiry wherein the legal presumption would operate in favour of the public document(s) and burden would shift on the party opposing the change to rebut the presumption or oppose the claim on any other ground. The question of genuineness of the document including its contents would be adjudicated in the same inquiry and the Court of law would permit the desired change only upon verifying the official records and upon being satisfied of its genuineness. At the same time, the question of justiciability of the requested changes would be considered and only upon being satisfied with the need demonstrated by the student, the Court would grant its permission. The said permission can then be placed before the Board along with copy of publication in the official gazette and requisite (prescribed) fee (if any). The Board would then have no locus to make further enquiry nor would be required to enter upon any further verification exercise.”

HIGH COURT OF JAMMU AND KASHMIR • 2025

स्रोत JKHC020026062024

02 Sneha Kant v. Chhattisgarh Board of Secondary Education

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2023-01-31 • WPC/410/2023

यह मामला याचिकाकर्ता द्वारा अपनी कक्षा 10वीं की अंकतालिका में जन्मतिथि के सुधार हेतु दायर किया गया था। याचिकाकर्ता की अन्य सभी सरकारी दस्तावेजों (जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड) में जन्मतिथि '5.7.1998' अंकित थी, जबकि बोर्ड की अंकतालिका में इसे गलती से '5.7.1996' दर्शाया गया था। बोर्ड ने समय-सीमा समाप्त होने का तर्क देकर आवेदन अस्वीकार कर दिया था। न्यायालय ने 'Jigya Yadav v. Central Board of Secondary Education' मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए याचिका स्वीकार की। न्यायालय ने कहा कि छात्र के भविष्य और पहचान के हितों को प्रशासनिक सुविधानुसार नहीं टाला जा सकता। बोर्ड को निर्देश दिया गया कि वह 60 दिनों के भीतर सुधार के साथ नई अंकतालिका जारी करे।

निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने माना कि छात्र के भविष्य और पहचान के हितों को केवल प्रशासनिक सुविधा या समय सीमा समाप्त होने के तर्क पर खारिज नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के 'Jigya Yadav' निर्णय का पालन करते हुए बोर्ड को निर्देश दिया गया कि वह अन्य सभी दस्तावेजों में दर्ज '5.7.1998' की जन्मतिथि के अनुरूप संशोधित 10वीं की अंकतालिका जारी करे।

“Corrections to correct typographical and other errors to make the certificate consistent with the school records can be made provided that corrections in the school records should not have been made after the submission of application form for admission to Examination to the Board. *** *** B. Correction as per Court Orders. Applications regarding correction in date of birth of candidates will be considered provided the correction have been admitted by the Court of law. In cases of correction in date of birth in documents after the court orders caption will be mentioned on the document “CORRECTION ALLOWED IN DATE OF BIRTH FROM ____ TO ____ ON (DATED) ____ AS PER COURT ORDER NO. ____ DATED ____.” 194. As regards request for “change” of particulars in the certificate issued by the CBSE, it presupposes that the particulars intended to be recorded in the CBSE certificate are not consistent with the school records.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2023

स्रोत CGHC010028812023

03 Patel Pravinkumar Prahladdas v. Talati Cum Mantri

HIGH COURT OF GUJARAT • 2015-03-03 • SCA/2190/2015

यह याचिका एक जन्म प्रमाण पत्र में सुधार के लिए दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने जन्म प्रमाण पत्र में अपनी गलत जन्म तिथि (02.10.1964 के स्थान पर 01.09.1964) और गलत नाम ('Babo' के स्थान पर 'Pravinkumar') को ठीक करने का अनुरोध किया था। सक्षम प्राधिकारी ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया था कि उसके पास सुधार करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने पाया कि Registration of Births and Deaths Act, 1969 की Section 15 और Gujarat Registration of Births and Deaths Rules, 2004 के Rule 11 के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास जन्म प्रमाण पत्र में सुधार करने का स्पष्ट कानूनी अधिकार है। न्यायालय ने आदेश दिया कि अधिकारी याचिकाकर्ता के आवेदन पर कानून के अनुसार विचार करें और उसे सही करें।

निर्णय गुजरात उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 और नियमों के तहत पंजीयक (Registrar) के पास जन्म प्रमाण पत्र में गलत प्रविष्टि या नाम ('Babo' के स्थान पर 'Pravinkumar') को सुधारने का स्पष्ट अधिकार है और वे इस वैधानिक अधिकार का प्रयोग करने से मना नहीं कर सकते।

“(2) In the case referred to in sub rule (1) if the register is not in the possession, the Registrar, he/she shall make a report to the District Registrar of Births and Deaths and call for the relevant register and after inquiring into the matter, if he is satisfied that any such error has been made, make the necessary correction. Page 6 of 14 C/SCA/2190/2015... A combined perusal of Section 15 and Rule 11, as reproduced above, leaves no manner of doubt that respondent is vested with the power to make a correction in an entry in the Register of Births and Deaths and, therefore, in the Birth Certificate.”

HIGH COURT OF GUJARAT • 2015

स्रोत GJHC240054502015

04 The Secretary and Commissioner, Home Department and Ors. v. R. Kirubakaran

SUPREME COURT OF INDIA • 1993-09-21 • 1993 INSC 303

यह मामला लोक सेवकों द्वारा सेवानिवृत्ति के ठीक पहले अपनी जन्म तिथि (Date of Birth) में बदलाव करने के बढ़ते चलन से संबंधित है। प्रतिवादी ने 1958 में सेवा में प्रवेश किया और अपनी सेवानिवृत्ति से केवल एक वर्ष पूर्व जन्म तिथि बदलने के लिए आवेदन किया। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि सेवा रिकॉर्ड में जन्म तिथि के सुधार के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन किया जाना चाहिए और इसे सेवानिवृत्ति के करीब नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि ऐसे बदलावों का वरिष्ठता और पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे कनिष्ठ कर्मचारियों को अपूरणीय क्षति हो सकती है। न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया और स्पष्ट किया कि जन्म तिथि में बदलाव के लिए अकाट्य प्रमाण (irrefutable proof) की आवश्यकता होती है।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सेवा के अंत में या सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर जन्म तिथि में सुधार के लिए दायर आवेदन को अत्यधिक सतर्कता के साथ देखा जाना चाहिए। सेवा रिकॉर्ड में जन्म तिथि सुधार का दावा केवल निर्धारित समय सीमा के भीतर ही स्वीकार किया जाना चाहिए, अन्यथा यह विभाग के कामकाज और अन्य कर्मचारियों की पदोन्नति को प्रभावित करता है।

“Whenever any application is filed, by persons governed by those service rules, procedures prescribed therein have to be strictly followed, including the time limit prescribed for making such an application. Clause (b) of the aforesaid Rule 49 provides that after person had entered in service, an E application to alter the date of his birth as entered in the official records “shall be entertained only if such an application is made within five years of such entry in service” “... As such whenever an application for G alteration of the date of birth is made on the eve of superannuation or near about that time, the Court or the Tribunal concerned should be more cautious because of the growing tendency amongst a section of public servants, to raise such a dispute, without explaining as to why this question H 384 SUPREME COURT REPORTS (1993] SUPP. 2 S.C.R.”

SUPREME COURT OF INDIA • 1993

स्रोत ESCR010002991993

05 Prajapati Harshad Bhikhabhai v. State of Gujarat

HIGH COURT OF GUJARAT • 2014-03-13 • SCA/3979/2013

यह मामला जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि के सुधार से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने अपनी नाबालिग बेटी के जन्म प्रमाण पत्र में त्रुटिपूर्ण जन्म तिथि को सही करने के लिए Pilwai Gram Panchayat के पास आवेदन किया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा Judicial Magistrate के समक्ष दायर आवेदन को भी खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Section 15 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 के तहत संबंधित प्राधिकारी के पास जन्म रजिस्टर में त्रुटियों को सुधारने की स्पष्ट शक्ति निहित है। न्यायालय ने Neetaben Naresbhai Patel के निर्णय का हवाला देते हुए प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के आवेदन पर कानून के अनुसार विचार करने और रिकॉर्ड को सही करने का निर्देश दिया।

निर्णय गुजरात उच्च न्यायालय ने माना कि जब कोई वैधानिक प्राधिकारी अपनी वैधानिक शक्ति का प्रयोग करने में विफल रहता है, तो न्यायालय एक परमादेश (Writ of Mandamus) जारी कर सकता है। पंजीयक के पास धारा 15 के तहत जन्म प्रमाण पत्र में तथ्यों और लिपिकीय त्रुटियों की उचित जांच के बाद आवश्यक सुधार करने का पूर्ण अधिकार और कर्तव्य है।

“When concerned authority fails to exercise the power conferred by the statute and the person has legal right under the statute, on demand denied by the authority illegally, for removing such illegality, writ of mandamus can certainly be issued to such authority to act in accordance with the provisions of the statute. Section 15 of the Act of 1969, read with Rule 11 of Rules of 2004 provide for the detailed procedure as held by the two Division Bench of this High Court”

HIGH COURT OF GUJARAT • 2014

स्रोत GJHC240085132013

06 Swapna Jambhekar v. The Corporation of Cochin

HIGH COURT OF KERALA • 2020-11-17 • WP(C)/20216/2020

यह मामला एक जन्म प्रमाण पत्र में माता के नाम के सुधार से संबंधित है। याचिकाकर्ता का नाम उसके बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में गलती से दर्ज हो गया था। पंजीकरण प्राधिकारी ने सरकारी परिपत्र के आधार पर सुधार करने के बजाय नाम में कुछ बदलाव करने का सुझाव दिया था। न्यायालय ने Section 15 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी प्रविष्टि में त्रुटि सिद्ध हो जाती है, तो उसे वास्तविक नाम के साथ सही करना प्राधिकारी का कर्तव्य है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि सुधार केवल स्कूल रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है। याचिकाकर्ता के आधार कार्ड और पासपोर्ट को प्रमाण मानते हुए, न्यायालय ने प्राधिकारी को प्रमाण पत्र में माँ का नाम 'Swapna Jambhekar' के रूप में सही करने का निर्देश दिया।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 15 पंजीयक पर यह वैधानिक दायित्व डालती है कि वह त्रुटि सिद्ध होने पर वास्तविक प्रविष्टि दर्ज करे। सुधार केवल स्कूल रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है; यदि आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे अन्य विश्वसनीय दस्तावेज वास्तविक नाम दर्शाते हैं, तो उनके आधार पर जन्म प्रमाण पत्र सुधारा जाना चाहिए।

“The aforesaid statutory provisions indicate that if it is shown that an entry in the register has been made erroneously, the Registrar has a duty to correct the same. Indubitably, the Registrar can discharge the said duty only by making the real entry... True, in the Circular issued by the Government, it is stated that appropriate corrections can be made as regards the names of the parents of children based on school records, in their birth certificates. But the statute does not say that the name shall be corrected only based on school records.”

HIGH COURT OF KERALA • 2020

स्रोत KLHC010508572020

07 Patel Shaileshkumar Girdhardas v. State of Gujarat

HIGH COURT OF GUJARAT • 2014-12-10 • SCA/11355/2014

यह मामला जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि और माता के नाम में सुधार न करने के प्रशासनिक निर्णय को चुनौती देने के बारे में था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि रिकॉर्ड में उसकी जन्म तिथि और माता के नाम की प्रविष्टि गलत थी। संबंधित प्राधिकरण ने यह कहते हुए सुधार करने से इनकार कर दिया था कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने Section 15 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 और Rule 11 of the Gujarat Registration of Births and Deaths Rules, 2004 का संदर्भ देते हुए स्पष्ट किया कि जन्म और मृत्यु पंजीयक (Registrar) के पास रिकॉर्ड में तथ्यात्मक और लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने का पूर्ण अधिकार है। न्यायालय ने पूर्ववर्ती निर्णयों के आधार पर याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया और संबंधित प्राधिकरण को आवेदन पर कानून के अनुसार विचार करने का निर्देश दिया।

निर्णय गुजरात उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जन्म और मृत्यु पंजीयक (Registrar) को अधिनियम की धारा 15 और राज्य के नियमों के तहत जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि और माता के नाम जैसी लिपिकीय या वास्तविक त्रुटियों को सुधारने का पूर्ण अधिकार है, और वह क्षेत्राधिकार की कमी का दावा करके आवेदन अस्वीकार नहीं कर सकता।

“Section 15 of the Act of 1969 empowers Registrar of Birth and Death to correct any erroneous entry in form or substance or any entry which has been fraudulently or improperly made.”

HIGH COURT OF GUJARAT • 2014

स्रोत GJHC240146412014

08

Niravkumar Chandulal Thakkar v. State of Gujarat

HIGH COURT OF GUJARAT • 2021-09-22 • SCA/7350/2021

यह मामला जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) में बच्चे के नाम में सुधार से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने अपने पुत्र का नाम 'Neer' से बदलकर 'Neev' करने के लिए आवेदन किया था, जिसे Registrar ने 18.02.2016 के Circular का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि Section 15 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 और Rule 11 of the Gujarat Registration of Births and Deaths Rules, 2004 के तहत सक्षम प्राधिकारी को जन्म रजिस्टर में त्रुटि सुधारने का अधिकार है। न्यायालय ने पूर्ववर्ती निर्णयों का हवाला देते हुए माना कि कोई भी प्रशासनिक Circular वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता और Registrar को कानून के अनुसार आवेदन पर विचार करना चाहिए था। अतः न्यायालय ने उक्त आदेश को रद्द करते हुए मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

निर्णय गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता से पंजीयक संतुष्ट है, तो वह जन्म प्रमाण पत्र में नाम बदलने के लिए अधिकृत है। कोई भी प्रशासनिक परिपत्र वैधानिक शक्तियों के प्रयोग को बाधित या निरस्त नहीं कर सकता है।

“In case ‘alias’ is not acceptable to the applicant, then necessary changes in the name may be done upon the satisfaction of the registrar on the authenticity of the documents furnished by the applicant. After making changes, necessary entry should be made in the remarks column of the birth register and mention the date of correction and both names in the remarks column of birth register.”

HIGH COURT OF GUJARAT • 2021

स्रोत GJHC240227492021

09 State of Haryana v. Satish Kumar Mittal

SUPREME COURT OF INDIA • 2010-09-07 • 2010 INSC 573

यह मामला सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी जन्मतिथि में बदलाव के अनुरोध से संबंधित है। प्रतिवादी ने सेवा में शामिल होने के नौ साल बाद अपनी जन्मतिथि सही करने के लिए आवेदन किया, जिसे सरकारी नियमों के तहत दो साल की निर्धारित सीमा के बाद होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया। प्रतिवादी ने बाद में एक दीवानी मुकदमा दायर किया जिसे निचली अदालतों ने स्वीकार कर लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को पलटते हुए कहा कि जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन समयबद्ध होना अनिवार्य है और अत्यधिक देरी से किए गए ऐसे आवेदन विभाग के कामकाज में बाधा डालते हैं। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि नियमों के अनुसार दो साल की समय-सीमा का पालन करना आवश्यक है, भले ही बाद में कोई भी सामग्री पेश की जाए।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सेवा रिकॉर्ड में जन्मतिथि में सुधार का दावा उचित समय के भीतर ही दर्ज किया जाना चाहिए। नियमों में निर्धारित दो वर्ष की समय-सीमा के बाद, नौ वर्ष के अत्यधिक विलंब से दायर किए गए आवेदन को किसी दीवानी अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।

“As such, unless a clear case on the basis of clinching materials which can be held to be conclusive in nature, is made out by the respondent and that too within a reasonable time as provided in the rules governing the service, the court or the Tribunal should not issue a direction or make a declaration on the basis of materials which make such claim only plausible.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2010

स्रोत ESCR010000022010

10 Kapadiya Soyeb Salimbhai v. State of Gujarat

HIGH COURT OF GUJARAT • 2014-08-25 • SCA/11549/2014

यह मामला याचिकाकर्ता द्वारा उनके स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र (School Leaving Certificate) और पासपोर्ट में जन्म तिथि को सही करने के अनुरोध से संबंधित था। याचिकाकर्ता के पास एक आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र था जिसमें उनकी जन्म तिथि 15 मार्च 1987 दर्ज थी, जबकि स्कूल के रिकॉर्ड और पासपोर्ट में यह 5 मार्च 1987 दिखाई गई थी। याचिकाकर्ता ने इसे सही करने के लिए अधिकारियों से संपर्क किया था, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। न्यायालय ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को साक्ष्यों की जांच करनी चाहिए और जन्म प्रमाण पत्र जैसे प्राथमिक दस्तावेजों के आधार पर स्कूल रिकॉर्ड में सुधार के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। न्यायालय ने प्रासंगिक नियमों और कानूनों के अनुसार मामले पर विचार करने का निर्देश दिया।

निर्णय गुजरात उच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 15 और राज्य के नियम पंजीयक को विस्तृत जांच करने और प्रविष्टि में लिपिकीय या वास्तविक (substantial) सुधार करने की शक्ति प्रदान करते हैं। पंजीयक का यह वैधानिक कर्तव्य है कि वह उचित साक्ष्यों की जांच कर संतुष्ट होने पर सुधार की प्रक्रिया पूरी करे।

“The foregoing discussion and the earlier referred decisions have brought out that the Act and the Rules confer adequate power and authority to the Registrar to even make necessary inquiry and upon being satisfied, the Registrar would be obliged to make necessary “clerical or substantial” correction / change in the manner prescribed under the Rules.”

HIGH COURT OF GUJARAT • 2014

स्रोत GJHC240148022014

11 Prajapati Jitendrakumar Joitaram v. State of Gujarat

HIGH COURT OF GUJARAT • 2015-01-09 • SCA/18574/2014

यह मामला जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि सुधारने से संबंधित है। याचिकाकर्ता का जन्म 10.05.1978 को हुआ था, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में इसे गलत तरीके से 31.10.1978 दर्ज किया गया था। स्थानीय अधिकारी ने अपनी शक्ति न होने का हवाला देते हुए सुधार करने से मना कर दिया था। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 'Section 15 of the Registration of Births and Deaths Act' और 'Rule 11 of the Gujarat Registration of Births and Deaths Rules, 2004' के तहत Registrar के पास जन्म तिथि में सुधार करने का पूरा अधिकार है। न्यायालय ने पूर्व के निर्णयों का हवाला देते हुए अधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया और उन्हें कानून के अनुसार सुधार करने का निर्देश दिया।

निर्णय गुजरात उच्च न्यायालय ने माना कि स्थानीय ग्राम पंचायत या सक्षम अधिकारी यह दावा नहीं कर सकते कि उनके पास जन्म तिथि में सुधार करने की शक्ति नहीं है। धारा 15 और नियम 11 के तहत पंजीयक को जन्म रजिस्टर में किसी भी तथ्यात्मक या लिपिकीय अशुद्धि को सुधारने का स्पष्ट अधिकार प्राप्त है।

“Section 15 of the Act of 1969 read with Rule 11 of the State Rules, 2004 along with Chapter 9, Clause 9.6 and 9.7 of the Handbook of Registrar General, Ministry of Home Affairs, Govt. of India and Clause 5.8 of Chapter 5 of guidelines contained in vernacular Gujarati adequately conferred power upon the authority to correct/cancel erroneous entries”

HIGH COURT OF GUJARAT • 2015

स्रोत GJHC240206952014

12 The Regional Officer, Central Board of Secondary Education v. Dr. Arun S.

HIGH COURT OF KERALA • 2021-08-12 • WA/1043/2021

यह मामला CBSE द्वारा जारी प्रमाणपत्र में जन्मतिथि में सुधार के अनुरोध से संबंधित है। रिट याचिकाकर्ता ने अपने स्कूल रिकॉर्ड और जन्म प्रमाणपत्र के अनुसार अपनी जन्मतिथि को सही करने की मांग की थी। केरल उच्च न्यायालय ने इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के 'Jigya Yadav v. CBSE' निर्णय का हवाला दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि CBSE को वैध जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर जन्मतिथि सुधारने के अनुरोधों को स्वीकार करना

चाहिए, बशर्ते कि आवेदक निर्धारित शुल्क का भुगतान करे और आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत करे। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने CBSE को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप विचार करे।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने माना कि सीबीएसई को वैध जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर जन्मतिथि में संशोधन के अनुरोधों को स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए सीबीएसई शपथ पत्र (sworn affidavit), क्षतिपूर्ति पत्र (indemnity), प्रशासनिक शुल्क और आधिकारिक गजट में प्रकाशन की पूर्व शर्त लगा सकता है।

“This, however, need not be unconditional, but subject to certain reasonable conditions to be fulfilled by the applicant as may be prescribed by the CBSE, such as, of furnishing sworn affidavit containing declaration and to indemnify the CBSE and upon payment of prescribed fees in lieu of administrative expenses. The CBSE may also insist for issuing Public Notice and publication in the Official Gazette before recording the change”

HIGH COURT OF KERALA • 2021

स्रोत KLHC010423652021

13 Patel Mitaben Rakeshkumar v. State of Gujarat

HIGH COURT OF GUJARAT • 2021-12-08 • SCA/13078/2021

यह मामला जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि को '3.7.1971' से बदलकर '1.6.1971' करने और उसमें 'Mitaben' नाम जोड़ने के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध से संबंधित है। नगर पालिका के सक्षम अधिकारी ने विलंब का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने माना कि Section 15 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 और Rule 11 of the Gujarat Registration of Births and Deaths Rules, 2004 के तहत संबंधित अधिकारी के पास रिकॉर्ड में गलतियों को सुधारने का पूर्ण अधिकार है। न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए प्रतिवादी को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर रिकॉर्ड को संशोधित करने और नया जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया।

निर्णय गुजरात उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई प्राधिकारी क्षेत्राधिकार होने के बावजूद यह मानकर अधिकार का प्रयोग करने से इनकार करता है कि उसके पास शक्ति नहीं है, तो अदालत द्वारा उसे निर्देश जारी किया जाना चाहिए। पंजीयक को तथ्यों या स्वरूप में किसी भी त्रुटि को सुधारने का स्पष्ट वैधानिक अधिकार है।

“Therefore, considering the provisions of the Act of 1969 and more particularly, the provisions of Section 15 read in juxtaposition with the provisions of Rules of 2004, more particularly, Rule 11, it is no longer res integra that the Registrar has the power to correct any erroneous entry in form or substance or any entry which has been fraudulently or improperly made.”

HIGH COURT OF GUJARAT • 2021

स्रोत GJHC240479852021

14 Central Board of Secondary Education v. Revathy Sreedhar

HIGH COURT OF KERALA • 2021-10-13 • WA/827/2021

यह मामला CBSE द्वारा जारी प्रमाणपत्रों में जन्म तिथि में सुधार की मांग से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने अपने जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी जन्म तिथि को ठीक करने का अनुरोध किया था। केरल उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के 'Jigya Yadav v. C.B.S.E.' मामले में निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया। न्यायालय ने CBSE को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता के आवेदन पर संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि CBSE को स्कूल रिकॉर्ड या सार्वजनिक दस्तावेजों के आधार पर सुधार के अनुरोधों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए, बशर्ते निर्धारित शुल्क, शपथ पत्र और आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने CBSE को इन नियमों के तहत आवेदन संसाधित करने का निर्देश देते हुए अपील का निपटारा कर दिया।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने सीबीएसई को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए स्कूल रिकॉर्ड और जन्म प्रमाण पत्र के साक्ष्यों के आधार पर जन्मतिथि में सुधार के आवेदन को उचित प्रक्रिया और निर्धारित शुल्कों के भुगतान के उपरांत तय समय सीमा में निपटाए।

“The CBSE may also insist for issuing Public Notice and publication in the Official Gazette before recording the change in the fresh certificate to be issued by it upon surrender/return of the original certificate (or duplicate original certificate, as the case may be) by the applicant.”

HIGH COURT OF KERALA • 2021

स्रोत KLHC010608682020

15 Central Board of Secondary Education v. Robin Moses

HIGH COURT OF KERALA • 2021-06-30 • WA/738/2021

यह मामला CBSE द्वारा जारी प्रमाणपत्र में जन्मतिथि में सुधार की मांग से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने अपने शैक्षिक दस्तावेजों में जन्मतिथि को वैधानिक अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुरूप संशोधित करने का अनुरोध किया था। केरल उच्च न्यायालय ने इस विवाद पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 'Jigya Yadav v. C.B.S.E.' का पालन किया। न्यायालय ने निर्देशित किया कि CBSE को याचिकाकर्ता के आवेदन पर संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार विचार करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि आवेदन स्कूल के रिकॉर्ड या सार्वजनिक दस्तावेजों पर आधारित है, तो CBSE उचित शुल्क और निर्धारित शर्तों के अनुपालन के साथ प्रमाणपत्र में सुधार कर सकता है। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने अपील का निपटारा किया।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने सीबीएसई को छात्र के वैधानिक जन्म प्रमाण पत्र और लोक दस्तावेजों के आधार पर शैक्षणिक दस्तावेजों में सुधार करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सीबीएसई ऐसे लोक दस्तावेजों की प्रामाणिकता की उपेक्षा नहीं कर सकता है।

“Such public documents, therefore, cannot be ignored by the CBSE. Taking note of those documents, the CBSE may entertain the request for recording change in the certificate issued by it.”

HIGH COURT OF KERALA • 2021

स्रोत KLHC010163872021

16 Central Board of Secondary Education v. Resmy Nair

HIGH COURT OF KERALA • 2021-08-26 • WA/1073/2021

यह मामला CBSE द्वारा जारी प्रमाणपत्र में जन्मतिथि में सुधार की मांग से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने अपने शैक्षिक रिकॉर्ड को अन्य सरकारी प्रमाणपत्रों के अनुरूप संशोधित करने का अनुरोध किया था। केरल उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के Jigya Yadav v. CBSE मामले में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए, CBSE को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करे और उसे तय प्रक्रिया के अनुसार संसाधित करे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि CBSE को ऐसे सुधारों के लिए आवेदन स्वीकार करने चाहिए, बशर्ते वे निर्धारित उचित प्रक्रियाओं और शर्तों का अनुपालन करते हों।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने सीबीएसई को निर्देशित किया कि वह याचिकाकर्ता के जन्मतिथि सुधार संबंधी आवेदन को सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों के अनुरूप निर्धारित उचित शर्तों जैसे शपथ पत्र और प्रशासनिक शुल्क के अधीन विचार कर निस्तारित करे।

“This, however, need not be unconditional, but subject to certain reasonable conditions to be fulfilled by the applicant as may be prescribed by the CBSE, such as, of furnishing sworn affidavit containing declaration and to indemnify the CBSE and upon payment of prescribed fees in lieu of administrative expenses.”

HIGH COURT OF KERALA • 2021

स्रोत KLHC010454912021

17 Central Board of Secondary Education v. Sruthy S.

HIGH COURT OF KERALA • 2021-08-24 • WA/1065/2021

यह मामला CBSE द्वारा जारी प्रमाणपत्र में जन्मतिथि में सुधार की मांग से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर अपनी जन्मतिथि सही कराने का अनुरोध किया था। न्यायालय ने Jigya Yadav v. C.B.S.E. के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए प्रतिवादी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करे। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि स्कूल को आवेदन CBSE के पास भेजना होगा और CBSE को एक महीने के भीतर इस पर निर्णय लेना होगा।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने सीबीएसई को आदेश दिया कि वह संबंधित विद्यालय के माध्यम से प्राप्त याचिकाकर्ता के जन्मतिथि सुधार के आवेदन पर विचार करे और एक माह के भीतर आवश्यक प्रक्रिया को पूर्ण करे।

“The CBSE may also insist for issuing Public Notice and publication in the Official Gazette before recording the change in the fresh certificate to be issued by it upon surrender/return of the original certificate (or duplicate original certificate, as the case may be) by the applicant.”

HIGH COURT OF KERALA • 2021

स्रोत KLHC010434912021

18 Central Board Secondary Education v. Afna Salam

HIGH COURT OF KERALA • 2021-09-24 • WA/1216/2021

यह मामला CBSE द्वारा जारी प्रमाणपत्र में जन्मतिथि में सुधार की मांग से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने अपने शैक्षिक दस्तावेजों में जन्मतिथि को जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार सही करने का अनुरोध किया था। केरल उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के Jigya Yadav v. C.B.S.E. के निर्णय का संदर्भ लेते हुए निर्देश दिया कि CBSE को निर्धारित शर्तों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए छात्र के आवेदन पर विचार करना चाहिए। न्यायालय ने CBSE को निर्देश दिया कि वे उचित शुल्क और दस्तावेजों की जांच के साथ जन्मतिथि में सुधार की प्रक्रिया पूरी करें और अपनी उप-नियमों (Byelaws) में आवश्यक संशोधन करें। इस आदेश के साथ याचिका का निपटारा कर दिया गया।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने सीबीएसई को निर्देशित किया कि वह अपने उप-नियमों (Byelaws) में आवश्यक संशोधन करे ताकि जन्म प्रमाण पत्र के साक्ष्य के आधार पर जन्मतिथि सुधारने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके और याचिकाकर्ता के आवेदन को तय समय में निपटाया जाए।

“Additionally, the CBSE shall take immediate steps to amend its relevant Byelaws so as to incorporate the stated mechanism for recording correction or change, as the case may be, in the certificates already issued or to be issued by it.”

HIGH COURT OF KERALA • 2021

स्रोत KLHC010423682021

19 Central Board of Secondary Education v. P. Sreekantan Nair

HIGH COURT OF KERALA • 2020-11-19 • WA/1466/2020

यह मामला CBSE द्वारा दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र में माता-पिता के नाम में सुधार करने से इनकार करने के खिलाफ दायर की गई एक रिट अपील से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने सरकारी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर रिकॉर्ड में बदलाव की मांग की थी। CBSE ने तर्क दिया कि उसके उप-नियम (bye-laws) केवल टाइपोग्राफिक त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देते हैं और देरी के कारण इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने CBSE की दलीलों को खारिज कर दिया। न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय Subin Mohammed v. Union of India का हवाला देते हुए माना कि यदि साक्ष्य वास्तविक और वैध हैं, तो बोर्ड को रिकॉर्ड में सुधार करने का कर्तव्य निभाना चाहिए। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय बरकरार रखा और CBSE को स्कूल रिकॉर्ड के अनुरूप नाम में सुधार करने का निर्देश दिया।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने माना कि जन्म के वैधानिक रजिस्टर में दर्ज जन्मतिथि और नाम की प्रविष्टि को स्कूल के रिकॉर्ड की प्रविष्टि पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि कानूनन वैधानिक रजिस्टर की प्रविष्टि सही मानी जाती है।

“As held by the Apex Court in Cidco (supra), entry of date of birth in the statutory register raises a presumption of correctness and it prevails over an entry in the school register.”

HIGH COURT OF KERALA • 2020

स्रोत KLHC010426422020

20 Karnataka Rural Infrastructure Development Limited v. T.P. Nataraja

SUPREME COURT OF INDIA • 2021-09-21 • 2021 INSC 521

यह मामला सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा रिकॉर्ड में जन्मतिथि (date of birth) बदलने की मांग से संबंधित है। कर्मचारी ने अपनी नियुक्ति के 24 साल बाद जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन किया था, जबकि कर्नाटक राज्य सरकार के नियमों (Karnataka State Servants (Determination of Age) Act, 1974) के तहत ऐसा आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने कर्मचारी के पक्ष में निर्णय दिया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 'Ignorance of law' को बचाव का आधार नहीं बनाया जा सकता और लंबी देरी (delay and laches) के कारण सेवा के अंतिम समय में जन्मतिथि में बदलाव की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 24 साल की लंबी और बिना स्पष्टीकरण की देरी के बाद सेवा रिकॉर्ड में जन्मतिथि सुधार की अनुमति देना कानूनन अनुचित है। नियमों के तहत निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन कर दी गई राहत अन्य कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति को नुकसान पहुंचाती है।

“Unless the court or the tribunal is fully satisfied on the basis of the irrefutable proof relating to his date of birth and that such a claim is made in accordance with the procedure prescribed or as per the consistent procedure adopted by the department concerned, as the case may be, and a real injustice has been caused to the person concerned, the court or the tribunal should be loath to issue a direction for correction of the service book.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2021

स्रोत ESCR010004082021

21 Pooja Prayank Agarwal v. State of Gujarat

HIGH COURT OF GUJARAT • 2023-07-20 • SCA/11695/2023

यह मामला जन्म प्रमाण पत्र में नाम सुधारने के संबंध में है। याचिकाकर्ता ने अपने पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में नाम 'Siddharth Prayank Agarwal' से बदलकर 'Raghav Prayank Agrawal' करने के लिए आवेदन दिया था, जिसे अधिकारियों ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह कोई लिपिकीय त्रुटि (clerical error) नहीं है। याचिकाकर्ता ने 2018 में सरकारी गजट में नाम परिवर्तन की सूचना पहले ही प्रकाशित करवा ली थी। न्यायालय ने Registration of Births and Deaths Act, 1969 की Section 15 और उससे संबंधित नियमों का हवाला देते हुए कहा कि जब नाम पहले से ही सरकारी गजट में अधिसूचित है और अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड व पैन कार्ड उपलब्ध हैं, तो अधिकारी नाम बदलने के अनुरोध पर विचार करने के लिए बाध्य हैं। न्यायालय ने पूर्व के न्यायिक निर्णयों का पालन करते हुए अधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया और उन्हें आठ सप्ताह के भीतर जन्म प्रमाण पत्र में नाम संशोधित करने का निर्देश दिया।

निर्णय गुजरात उच्च न्यायालय ने माना कि जब किसी बच्चे का नाम सरकारी गजट में पहले से ही अधिसूचित हो चुका हो और पैन तथा आधार कार्ड जैसे प्रामाणिक सहायक दस्तावेज उपलब्ध हों, तो पंजीयक जन्म प्रमाण पत्र में नाम बदलने के आवेदन को लिपिकीय त्रुटि न होने का बहाना बनाकर खारिज नहीं कर सकता।

“When the statutory provision permitted such correction and learned Single Judge found on merits that such correction was justified, no submission at the end of Registrar of Birth and Death could hold good.”

HIGH COURT OF GUJARAT • 2023

स्रोत GJHC240401692023

22 Secretary, CBSE v. Jithin H.S.

HIGH COURT OF KERALA • 2021-09-15 • WA/1176/2021

यह मामला CBSE द्वारा जारी प्रमाणपत्र में जन्मतिथि में सुधार के अनुरोध से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने अपने जन्म प्रमाणपत्र के अनुसार अपनी जन्मतिथि को सही करने की मांग की थी। न्यायालय ने 'Jigya Yadav v. C.B.S.E.' मामले में Supreme Court of India द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए CBSE को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करें और प्रमाणपत्र में सुधार प्रक्रिया को पूर्ण करें। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि CBSE को ऐसे सुधारों के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, जिसमें शपथ पत्र लेना और निर्धारित शुल्क जमा कराना शामिल है, ताकि शैक्षणिक रिकॉर्ड और आधिकारिक दस्तावेजों में समानता बनी रहे।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने सीबीएसई को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र और उचित शुल्क की शर्तों के अधीन जन्म प्रमाण पत्र के साक्ष्यों का मिलान करते हुए प्रमाणपत्र में जन्मतिथि सुधार की प्रक्रिया पूर्ण करे।

“Taking note of those documents, the CBSE may entertain the request for recording change in the certificate issued by it. This, however, need not be unconditional, but subject to certain reasonable conditions to be fulfilled by the applicant as may be prescribed by the CBSE, such as, of furnishing sworn affidavit containing declaration and to indemnify the CBSE and upon payment of prescribed fees in lieu of administrative expenses.”

HIGH COURT OF KERALA • 2021

स्रोत KLHC010450722021

23 Central Board of Secondary Education v. Afsal P.

HIGH COURT OF KERALA • 2021-02-16 • WA/303/2021

यह मामला CBSE द्वारा छात्र के माता-पिता के नाम में सुधार करने से इनकार करने के खिलाफ था। छात्र ने अपने जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) के आधार पर स्कूल के रिकॉर्ड में सुधार की मांग की थी। CBSE ने अपनी परीक्षा उप-नियमों (Examination Bye-laws) और समय सीमा का हवाला देते हुए सुधार करने से मना कर दिया था।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जन्म के वैधानिक रजिस्टर में दर्ज जन्मतिथि और नाम की प्रविष्टियों की सत्यता के पक्ष में कानूनी धारणा प्रबल होती है, तथा शैक्षणिक बोर्डों को इन विलेखों के साक्ष्य को दरकिनार नहीं करना चाहिए।

“But to reconcile the date of birth entry in the mark sheet with that of the entry in the statutory certificate, the candidates should not be left without any remedy. Their right to approach the Court for redressing their grievance cannot be ruled out.”

HIGH COURT OF KERALA • 2021

स्रोत KLHC010730432020

24 Vipin K. v. Principal, Kendriya Vidyalaya

HIGH COURT OF KERALA • 2012-02-10 • WP(C)/2496/2012

याचिकाकर्ता ने अपनी 10वीं कक्षा की मार्कशीट और प्रमाण पत्र में जन्म तिथि को सही करने के लिए CBSE के पास आवेदन किया था। चूंकि स्कूल के रिकॉर्ड में जन्म तिथि गलत दर्ज थी, उन्होंने इसे जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार बदलने की मांग की। न्यायालय ने कहा कि CBSE के उप-नियमों (bye-laws) में तय समय सीमा के बाद भी जन्म तिथि में सुधार से इनकार नहीं किया जा सकता, यदि आवेदन उचित दस्तावेजों द्वारा समर्थित हो। तदनुसार, न्यायालय ने 3rd respondent को निर्देश दिया कि वे छह सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के दस्तावेजों की जांच करें और यदि वे सही पाए जाते हैं, तो जन्म तिथि में सुधार की प्रक्रिया पूरी करें।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने माना कि बोर्ड के उप-नियमों (Bye-laws) में दी गई समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी यदि आवेदन के समर्थन में जन्म प्रमाण पत्र जैसे मूल वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं, तो सुधार के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता।

“As per those decisions, the respondents cannot deny the claim for correction of date of birth even if it is beyond the time fixed in the bye-laws applicable to respondents.”

HIGH COURT OF KERALA • 2012

स्रोत KLHC010445812012

25 Central Board of Secondary Education v. Rasna P.

HIGH COURT OF KERALA • 2021-07-27 • WA/799/2021

यह मामला CBSE द्वारा जारी प्रमाणपत्र में जन्मतिथि के सुधार से संबंधित है। रिट याचिकाकर्ता ने अपने स्कूल रिकॉर्ड और जन्म प्रमाणपत्र के अनुसार अपनी जन्मतिथि में बदलाव की मांग की थी। न्यायालय ने Jigya Yadav v. C.B.S.E. के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि CBSE को छात्रों के अनुरोध पर प्रमाणपत्रों में सुधार या परिवर्तन करने के लिए एक प्रक्रिया अपनानी चाहिए। केरल उच्च न्यायालय ने CBSE को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार विचार करे और यह भी निर्देशित किया कि स्कूल इस आवेदन को CBSE के पास भेजे, जिसे एक महीने के भीतर निपटाया जाना चाहिए।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने सीबीएसई को निर्देश दिया कि वह एक माह के भीतर स्कूल द्वारा अग्रेषित किए गए याचिकाकर्ता के जन्मतिथि सुधार संबंधी आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा Jigya Yadav मामले में प्रतिपादित दिशानिर्देशों के तहत विचार करे।

“Following the aforesaid decision, this appeal is disposed of directing the appellant to consider the application filed by the writ petitioner/first respondent for the correction of date of birth as held in Jigya Yadav (supra).”

HIGH COURT OF KERALA • 2021

स्रोत KLHC010094112020

अ स्वीक र ण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।